ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–28/22–23

धर्मेन्द्र ब्रहम बनाम् राजेन्द्र कुंवर वगै0

27.03.2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक धर्मेन्द्र ब्रहम, पे0–स्व0 मेघदयाल बाबू, सा0–झगड़ुवा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–दर्वेचक नं0–419, जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–60 के अंदर कुल रकवा–01–03–14 धूर भूमि से विपक्षीगण राजेन्द्र कुंवर, पे0–स्व0 पटवारी कुंवर, सा0–झगुरवा, थाना–महागामा, विद्यानंद कुंवर, पे0–स्व0 रंगो कुंवर, सा0–भुस्का विशनपुर, थाना–मेहरमा, जिला– गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–1649/रा0, दिनांक–19.12.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान के कैफियत कॉलम में खेसरा सं0–60 दखल–बौधु बाबु अंकित है। ग्राम सभा के अनुसार जमाबंदी रैयत मु0 कदमीवती वो मु0 रकसीवती वो बौधु बाबु नावल्द मृत हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि दाग नं0–60 के पर्चा के कैफियत कॉलम में जमाबंदी रैयत बौधु बाबु का नाम अंकित है, जो नावल्द मृत हो गये हैं। कैफियत कॉलम में अंकित जमाबंदी रैयत के नावल्द मृत होने के कारण उभय पक्षों का प्रासंगिक खेसरा पर दावा सही प्रतीत नहीं होता है। अतः अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा–दर्वेचक नं0–419, जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–60 के अंदर कुल रकवा–01–03–14 धूर भूमि फौत घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपायुक्त, गोड्डा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

27.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

27.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
S. C. 18/9/23

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 13:13:55 +05:30
Location: 192.168.1.33